न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 17/2019 अपील

उदयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. भीलवाडा –अपीलार्थी

बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार जहाजपुर मिसल सं. 11/2016 दिनांक 30.01.2017 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राज. अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री रामनिवास गुप्ता अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.8.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर मिसल सं. 11/2016 दिनांक 30.01.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का आमल्दा द्वारा तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम माधोपुरा के आराजी नं. 43/31 रकबा 20 बीघा भूमि पर अपीलार्थी ने अतिक्रमण कर खनन का मलवा डाल रखा हैं। तहसीलदार जहाजपुर ने अपीलार्थी के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया जिस पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं हैं। इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच पड़ताल के दिनांक 30.01.2017 को प्रश्नगत निर्णय पारित कर बेदखली का आदेश पारित किया जो विधि एवं तथ्यों के विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं, जबकि प्रार्थी कम्पनी के हक में भारत की आजादी से पहले से ही वर्ष 1941 में तत्कालीन मेवाड राज्य द्वारा खनन पटटा वास्ते खनिज सोप स्टोन जारी किया हुआ हैं, जो समय समय पर विधिनुसार नवीनीकृत किया गया हैं। पटवारी हल्का आमल्दा ने दिनांक 12.04.2012 को उक्त क्षैत्र की सभी आराजियात के बंदोबस्ती पटवार नक्शे की नकल अपीलार्थी को जारी की हैं जिसमें आराजी नंबर 31/1ख दर्शित कर रखी है और उक्त आराजी नंबर 31/1ख के मध्य अपीलार्थी की स्वयं की खातेदारी की आराजी विद्यमान हैं। इसी प्रकार पटवारी हल्का आमल्दा ने दिनांक 29.06.2018 को उक्त आराजियात के बंदोबस्ती पटवार नक्शा में आराजी नंबर 31/1ख के नंबर को विलोपित कर इसके बजाय मनमकसूद तरीके से आराजी नंबर 43/31–1ख बता रखा हैं और आराजी नंबर 31/2 तथा आराजी नंबर 31 मी. को नक्शे में नही बता रखा हैं। पटवारी हल्का आमल्दा ने बंदोबस्ती नक्शे की

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अपीलार्थी को जारीशुदा उक्त तीनों नकलों में विरोधाभासी स्थिति दर्शित की हैं, जबकि अपीलार्थी का खनन मलवा आराजी नंबर 31मी. जो कि अपीलार्थी का माइनिंग लीज एरिया में पड़ा हुआ हैं। ग्राम माधोपुरा तहसील जहाजपुर मे केवल आराजी नंबर 43/31 ही किस्म चारागाह के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थी कम्पनी द्वारा न तो खसरा नं. 43/31 की भूमि पर और ना ही ग्राम माधोपुरा की अन्य किसी चारागाह की भूमि पर मलवा डाल कर अतिक्रमण किया गया हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सब तथ्यों को नजरअंदाज किया जाकर दिनांक 30.01.2017 को निर्णय पारित कर दिया वह अपास्त किये जाने योग्य हैं। उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 14.05.2019 को उस समय हुयी जब पटवारी हल्का ने अपीलार्थी के माईंस मैनेजर को मौके पर आकर कहा कि अतिक्रमित जमीन से क़ब्जा हटावे, तत्पश्चात् तब अपीलार्थी ने प्रश्नगत आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। अपील के साथ पृथक से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 11/2016 दिनांक 30.01.2017 को पारित प्रश्न आदेश अपास्त किया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.06.2019 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी के अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं पर विपक्षी ने जवाब पत्र क्रमांक/राजस्व/961 दिनांक 04.08.2019 प्रस्तुत करते हुये अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं. 11/2016 संलग्न प्रेषित की हैं।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। **प्रार्थी ने दफा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं कि निर्णय दिनांक 30.01.2017 की जानकारी उन्हें दिनांक 16.05.2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुयी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं. 11/2016 निर्णय दिनांक 30.01.2017 के फर्द अहकाम पर अपीलार्थी विपक्षी के प्रतिनिधि की उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित हैं।** न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी के हक में भारत की आजादी से पहले से ही वर्ष 1941 में तत्कालीन मेवाड राज्य द्वारा खनन पटटा वास्ते खनिज सोप स्टोन जारी किया हुआ हैं, जो समय समय पर विधिनुसार नवीनीकृत किया गया हैं। पटवारी हल्का आमल्दा ने दिनांक 12.04.2012 को उक्त क्षैत्र की सभी आराजियात के बंदोबस्ती पटवार नक्शे की नकल अपीलार्थी को जारी की हैं जिसमें आराजी नंबर 31/1ख दर्शित कर रखी है और उक्त आराजी नंबर 31/1ख के मध्य अपीलार्थी की स्वयं की खातेदारी की आराजी विद्यमान हैं। इसी प्रकार पटवारी हल्का आमल्दा ने दिनांक 29.06.2018 को उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

आराजियात के बंदोबस्ती पटवार नक्शा में आराजी नंबर 31/1ख के नंबर को विलोपित कर इसके बजाय मनमकसूद तरीके से आराजी नंबर 43/31–1ख बता रखा हैं और आराजी नंबर 31/2 तथा आराजी नंबर 31 मी. को नक्शे में नही बता रखा हैं। पटवारी हल्का आमल्दा ने बंदोबस्ती नक्शे की अपीलार्थी को जारीशुदा उक्त तीनों नकलों में विरोधाभासी स्थिति दर्शित की हैं। जबकि अपीलार्थी का खनन मलवा आराजी नंबर 31मी. जो कि अपीलार्थी का माइनिंग लीज एरिया में पड़ा हुआ हैं। ग्राम माधोपुरा तहसील जहाजपुर मे केवल आराजी नंबर 43/31 ही किस्म चारागाह के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थी कम्पनी द्वारा न तो खसरा नं. 43/31 की भूमि पर और ना ही ग्राम माधोपुरा की अन्य किसी चारागाह की भूमि पर मलवा डाल कर अतिक्रमण किया गया हैं। आराजी नं. 43/31 के संबंध में धारा 91 की कार्यवाही की गयी। आराजी सं. 43/31 का सभी विभागों की टीम द्वारा सर्वे किया गया। सर्वे मे आराजी सं. 43/31 के अतिक्रमण के संबंध में गलती मानी हैं। तहसीलदार जहाजपुर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.08.2019 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में जो संयुक्त सर्वे रिपोर्ट प्रेषित की गयी हैं उसमें राजस्व नक्शे की तरमीम अनुसार अतिक्रमण नहीं हैं। पटवारी हल्का ने भी राजस्व नक्शों मे मनमकसूद तरीके से नक्शे की प्रतिलिपियां जारी की गयी है जो उक्त आराजी के संबंध में विरोधाभासी स्थिति दर्शित करती हैं। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 11/2016 दिनांक 30.01.2017 को पारित प्रश्न आदेश अपास्त किया जावे। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में विधिक दृष्टान्त 1995 डी एन जे (एससी) पीआर 208, 1996 डी एन जे (एससी) पीआर 281, 2002(4) डब्ल्यू एल सी (राज.) पीपी 30 प्रस्तुत किये।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी ने ग्राम माधोपुरा तहसील जहाजपुर की आराजी नं. 43/31 रकबा 20 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के विरूद्व नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त अतिक्रमी द्वारा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। अतिक्रमी को उक्त चारागाह भूमि से कब्जा हटाकर भूमि खाली करने का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थी ने अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमण हटा कर भूमि खाली नहीं की। पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड से अतिक्रमण आराजी चरागाह होने से अप्रार्थी के नाम नियमन योग्य नहीं हैं। तहसीलदार जहाजपुर ने ग्राम माधोपुरा के चारागाह आराजी नं. 43/31 रकबा 20.00 बीघा भूमि से अप्रार्थी को बेदखल करने व शास्ति लगान 500/–रूपये अधिरोपित की हैं जो नियमानुसार है। विपक्षी द्वारा अतिक्रमण की शास्ति भी जमा करा दी जाने से विपक्षी का आराजी सं. 43/31 भूमि में 20 बीघा भूमि चारागाह पर अतिक्रमण स्वीकार किया जाना ही माना जावेगा। अपीलार्थी विपक्षी अतिक्रमी द्वारा अपील के पश्चात् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 11/2016 में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था। अपीलार्थी विपक्षी को कई अवसर भी प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं हैं। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व परीक्षण किया और उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम माधोपुरा के आराजी नं. 43/31 रकबा 20 बीघा भूमि पर चारागाह पर यु.एम.डी.एस. चैनपुरा सोपस्टोन माईन्स जरिये मैनेजर यु.एम.डी.एस. माईन्स माधोपुरा अपीलार्थी विपक्षी द्वारा अतिक्रमण कर खान का मलबा डालकर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का आमल्दा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर में प्रकरण सं. 11/2016 पंजीबद्ध कर धारा 91 (3) के तहत नोटिस जारी किया। नियत दिनांक 21.07.2016 को अतिक्रमी की ओर से प्रतिनिधि उपखान प्रबंधक चैनपुरा माईन्स ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर चाहा गया। कई बार अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिये गये। अप्रार्थी ने दिनांक 23.01.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्रीन ट्रीब्यूनल द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गयी।

अपीलार्थी अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण प्रकरण सं. 11/2016 की सुनवाई में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतिक्रमी को उक्त भूमि से कब्जा हटाकर भूमि खाली करने का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अप्रार्थी ने अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमण हटाकर भूमि स्वतन्त्र नहीं करने पर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा अप्रार्थी को ग्राम माधोपुरा के चारागाह आराजी नं. 43/31 रकबा 20.00 बीघा से बेदखल किये जाने का आदेश पारित करते हुये शास्ति लगान 10.00 का 50 गुणा 500/–रूपये अधिरोपित की गयी। अपीलार्थी अतिक्रमी ने न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 11/2016 निर्णय दिनांक 30.01.2017 की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956 इस न्यायालय में दिनांक 11.06.2019 को प्रस्तुत की गयी है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन क्रमांक राजस्व/2019/605 दिनांक 22.06.2019 में अंकित किया हैं कि पटवारी हल्का आमल्दा के बयान अनुसार ग्राम माधोपुरा की आराजी नं. 43/31 रकबा 33.00 बीघा किस्म चारागाह पर करीब 20.00 बीघा पर खनन का अपशिष्ट काफी समय पूर्व से ही पड़ा हुआ था। जनसुनवाई के दौरान शिकायत प्राप्त होने पर पटवारी हल्का द्वारा जांचकर धारा 91 की रिपोर्ट उदयपुर मिनरल डवलपमेण्ट सिंडीकेट प्रा. लि. सोप स्टोन के विरूद्व प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के यहां प्रकरण सं. 11/2016 पंजीबद्व कर दिनांक 30.01.2017 को बेदखली आदेश पारित करते हुये 500/–रूपये शास्ती आरोपित कर बेदखल करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार जहाजपुर नायब तहसीलदार जहाजपुर, नायब तहसीलदार खजूरी एवं पण्डेर में वर्ष 1980 से 2015 तक ग्राम माधोपुर के आराजी नं. 43/31 रकबा 33.00 बीघा में अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज नही होना बताया है। खसरा परिवर्तनशील (पी–4) वर्ष 1981 से 2016 तक माईन्स के विरूद्व अतिक्रमण दर्ज नहीं होना बताया हैं। अपीलार्थी की अपील मेमों एवं दस्तावेज के अध्ययन एवं अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में बताये गये तथ्यों के अनुसार ग्राम माधोपुरा के आराजी नं. 43/31 रकबा 33.00 बीघा में 20.00 बीघा पर खनन का अपशिष्ट चारागाह भूमि में डालने के संबंध में विरोधाभासी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

तथ्य प्रकट होते हैं। नक्शा प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 में पटवारी हल्का आमल्दा ने आराजी नं. 31/1क, 31/1ख, 31/2, 42/31 1 क 31मी. अंकित करते हुये विरोधाभाषी स्थिति दर्शायी हुयी हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं. 11/2016 के परीक्षण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ अतिक्रमणसुदा भूमि के संबंध में मौका पर्चा नही बनाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्व पूर्ण प्रक्रियां नही अपनाकर अतिक्रमण की कार्यवाही की गयी है जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती हैं। न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 11/2016 के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट एवं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में तहसीलदार जहाजपुर के पत्रांक/राजस्व/2019/605 दिनांक 22.06.2019 में अंकित रिपोर्ट में विरोधाभासी तथ्य प्रकट किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं।

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार कर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 11/2016 निर्णय दिनांक 30.01.2017 को अपास्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार जहाजपुर को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये दिये जाते हैं कि ग्राम माधोपुरा के आराजी सं. 43/31 रकबा 20 बीघा भूमि के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श 1 दिनांक 12.04.2012, नक्शा प्रदर्श 2 दिनांक 02.03.2016, नक्शा प्रदर्श 3 दिनांक 29.06.2018 पटवारी हल्का आमल्दा द्वारा जारी के आधार पर अतिक्रमणसुदा भूमि का मौके एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार स्वयं जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार जहाजपुर को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा